भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1591
(09 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'दिशा' समिति की बैठकें

1591. श्री ईशा खान चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मालदा दक्षिण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मालदा एवं मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठकें आयोजित नहीं हुई हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि 'दिशा' समिति की बैठकें न आयोजित करने के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित मंत्रालय के पत्र के बावजूद राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या मंत्रालय को मालदा एवं मुर्शिदाबाद के जिला मजिस्ट्रेटों से इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और
(घ) यदि हां , तो इन जिलों में मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार 'दिशा' समिति की नियमित बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क), (ख) और (घ) प्रभावी सुशासन सुनिश्चित करने और जिलों के समग्र विकास को बढ़ावा देने हेतु दिशा बैठकों का समय पर आयोजन महत्वपूर्ण है। दिशा के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा.वि.मं.) नियमित आधार पर बैठकें आयोजित कराने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित सदस्य सचिवों (जिला अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों, उपायुक्तों) को दिशा मार्ग-दर्शिका के अनुसार जिला स्तरीय दिशा बैठकें आयोजित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। तथापि, रिकॉर्ड के अनुसार , वर्ष 2019-20 से मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के तहत मालदा और मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के किसी भी जिले में कोई भी दिशा बैठक आयोजित नहीं की गई है।

संघीय शासन संरचना में , प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ संघ , राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच विभाजित होती हैं। यद्यपि ग्रा.वि.मं. दिशा समितियों के गठन और संरचना को सुगम बनाता है लेकिन दिशा बैठकों के आयोजन सहित वास्तविक कार्यान्वयन और प्रशासनिक निरीक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संबंधित जिला प्रशासन की होती है।

(ग) जी नहीं।